**(xiii) Need to ensure that people affected due to incidents of fire or floods in rural areas are compensated suitably by providing them financial assistance and houses under Indira Awas Yojna**

**श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) :** देश में आगजनी की अनेकों घटनाएं होती हैं और ग्रामीण क्षेत्र इससे ज्यादा प्रभावित होता है । गांव में गरीब का अगर मकान आग में नष्ट हो जाए तो उसको बनाने में बहुत समय लग जाता है । अगर आग में रसोई नहीं जले तो उसको मुआवजा भी नहीं मिलता है एवं खड़ी फसल ओर पड़ी फसल को आग लग जाए तो मुआवजा नहीं मिल पाता है । यह भी एक तरह से न्यायसंगत नहीं है । अगर पूरा घर जले एवं रसोई जलने से बच जाए तो भी लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए एवं खड़ी फसल और पड़ी फसल बाढ़ या आग से नष्ट होती है तो भी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए । दूसरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ या आग से गांव के किसी आदमी का घर नष्ट हो जाता है उसके लिए इंदिरा आवास उपलब्ध करवाना चाहिए ।

सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मुआवजा दिए जाने के नियमों को परिवर्तित किया जाए और आग एवं बाढ़ से जिन लोगों के घर नष्ट होते हैं, उन्हें इंदिरा आवास की सुविधा दी जाए ।